12
2016 - अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर (राजस्थान)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय : न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अति0 जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) श्रीगंगानगर।
पीठासीन अधिकारी : करतारसिंह पूनियाँ, आर0ए0एस0

न्याय निर्णयन आवेदन सं0 12/16

श्री प्रदीपकुमार राजपूत, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्री गंगानगर।

बनाम

मै. खुशहाल किरयाना स्टोन, शॉप नं. 75 पदमपुर जिला श्रीगंगानगर

अभियुक्त

अपराध अ0 धारा 2.3.15(1)(बी)
ऑफ सैफ्टी एण्ड स्टैण्डर्ड एक्ट 2011

निर्णय

दिनांक : 15.11.2016

सक्षेंप में प्रकरण के सुसंगत एवं सारगर्भित तथ्य इस प्रकार हैं कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री प्रदीपकुमार राजपूत दिनांक 06-06-12 से कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वा0 अधिकारी, श्री गंगानगर में खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पद पर कार्य सम्पादन कर रहे हैं और उसे राज्य सरकार के आदेश क्रमांक एच/पीएफए/एफएसएसए/नोटिफिकेशन 2012/568 दिनांक 28-5-12 के द्वारा खाद्य सुरक्षा अधिकारी नियुक्त किया गया है। शासन की अधिसूचना/2011/505 दिनांक 18-8-11 के अनुसार इनका कार्यक्षेत्र कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्री गंगानगर आवंटित किया गया है और जिला श्री गंगानगर के अन्तर्गत आने वाले समस्त स्थानीय क्षेत्र कार्यक्षेत्र में बताए गए हैं।

श्री प्रदीप कुमार राजपूत खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 03.03.2016 को 04:40 पी.एम. पर वास्ते चैकिंग मै. खुशहाल किरयाना स्टोर, शॉप नं 75 पदमपुर पहुंचे वहां प्रो. श्री संजय अग्रवाल रिफाईण्ड सोयाबीन ऑयल विक्रय कर रहा था, जो कि करीब 20 लीटर खुले स्टील के टैंक में रखा था। उसमें मिलावट का शक होने पर उसमें से 400 एमएल 4 जगह पर (वजन 1600 एमएल) वास्ते नमूना जांच संख्या के-684 लिया गया और खरीदशुदा रिफाईण्ड सोयाबीन ऑयल की कीमत अखरे रूपये 150/- गवाह श्री नरेश कुमार और श्री बजरंग लाल के समक्ष श्री संजय अग्रवाल को देकर रसीद प्राप्त की। श्री संजय अग्रवाल को फार्म नं0 5 ए पर नोटिस देकर बता दिया था कि नमूना वास्ते जॉच लिया गया है, जिसको पढ़ समझ कर सही मानकर श्री संजय अग्रवाल ने हस्ताक्षर किये। फार्म नं0 5 की एक प्रति श्री संजय अग्रवाल को देकर रसीद प्राप्त की गई। खरीदशुदा रिफाईण्ड सोयाबीन ऑयल को चार सूखे व साफ डिब्बे में पैकर कर लेबल तैयार किये गये और उन पर खाद्य नमूना सं0 के-684 एवं अन्य विवरण दर्ज कर उन पर स्वंय ने व विकेता एवं गवाहान ने हस्ताक्षर किये और इनको प्रत्येक डिब्बे पर चिपकाया गया। प्रत्येक डिब्बे को खाकी कागज से लपेट कर प्रत्येक डिब्बे पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्री गंगानगर की हस्ताक्षर शुदा स्लिप

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर (राजस्थान)

के–684 नियमानुसार नीचे से उपर तक गोलाई में गोंद से चिपका कर प्रत्येक डिब्बे को धागे से बॉध कर चार–चार जगह सील चपड़ी किया और प्रत्येक डिब्बे पर श्री संजय अग्रवाल के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लीप एवं रेपर दोनों पर आवें। इन चारों सील्ड डिब्बे पर नियमानुसार गवाह श्री नरेश कुमार एवं बजरंग लाल के हस्ताक्षर करवाये एवं स्वंय ने किये और इन चारों सील्ड पैकेटों को अपने कब्जे में ले लिया। इस समस्त कार्यवाही की मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार की गई। इसके पश्चात् फार्म नं0 6 की सात प्रतियॉ तैयार की गई और प्रत्येक पर सील नमूना अंकित किया गया। जॉच नमूनों की कार्यवाही सम्पूर्ण की गई।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा खाद्य नमूना सं0 के–684 की एक सील्ड पैकेट को फार्म नं0 6 की एक प्रति के साथ सील बन्द कर जन विश्लेषक, राजस्थान, जयपुर के पास श्री तिलकराज, सहायक कर्मचारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर के द्वारा जमा करवा दिया और फार्म नं. 6 की द्वितीय प्रति, जिसमें सील नमूना अंकित था, अलग से सील लिफाफे में जन विश्लेषक एवं खाद्य विश्लेषक, राजस्थान, जयपुर को श्री तिलक राज सहायक कर्मचारी द्वारा जमा करवा दिया, जिसकी प्राप्ति रसीद प्राप्त की गई। खाद्य नमूना के–684 के द्वितीय एवं तृतीय भाग को फार्म नं0 6 की दो प्रतियों के साथ एक आउटर कवर पैकेट में सील बंद कर एवं खाद्य नमूना के चतुर्थ भाग को फार्म नं0 6 की एक प्रति के साथ एक आउटर कवर पैकेट में सील बंद कर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वा0 अधिकारी के पास जमा करवा दिया। इसके पश्चात् खाद्य विश्लेषक, राजस्थान, जयपुर की जॉच रिपोर्ट संख्या एलएस/506/एक्ट/2016/1374 दिनांक 06.06.2016 को प्राप्त हुई, जिसके अनुसार खाद्य नमूना के–684 रिफाईण्ड सोयाबीन ऑयल मिसब्राण्ड होना पाया गया। इस पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्री गंगानगर ने पत्र क्रमांक 7256 दिनांक 25.05.2016 की पालना में अभियुक्त के विरूद्ध एफ एस एस ए एक्ट 2006 नियम 2011 के अन्तर्गत न्याय निर्णयन आवेदन दिनांक 25.05.2016 को प्रस्तुत किया गया।

अभियुक्त को जरिए नोटिस तलब किया गया। अभियुक्त श्री संजय अग्रवावल स्वयं उपस्थित हुआ। जवाब पेश नहीं किया तथा निवेदन किया कि नरमी का रूख अपनाते हुए उसके प्रकरण का निस्तारण कर दिया जावे।

राज पैरोकार ने अपनी बहस में बताया कि अभियुक्त श्री संजय कुमार से लिया गया रिफाईण्ड सोयाबीन ऑयल का सैम्पल के–684 जाचं रिपोर्ट क्रमांक एलएस/506/एक्ट/2016/1374 दिनांक 06.06.2016 द्वारा Contravention of Regulation No. 2.3.15(1)(b) of Food and Standard (Prohibition and Restriction on Sales) Regulation, 2011 पाया गया है। अतः अभियुक्त के खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 2.3.15(1)(बी) के उल्लंधन का अपराध साबित होता है।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

जांच रिपोर्ट के अवलोकन से पाया गया कि जॉच रिपोर्ट क्रमांक एलएस/506/एक्ट/2016/1374 दिनांक 06.06.2016 में sample of Refined Soyabean Oil (Loose) is Contravention of Regulation No. 2.3.15(1)(b) of Food and Standard (Prohibition and Restriction on Sales) Regulation, 2011 पाया गया है। हालांकि खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने प्रस्तुत परिवाद के पैरा संख्या 08 में खाद्य नमूना संख्या के–684 मिसब्राण्ड होना अंकित किया है, जबकि जन विश्लेषक की जांच रिपोर्ट के अनुसार खाद्य नमूना संख्या के–684 मिसब्राण्ड होना नहीं पाया गया है बल्कि अभियुक्त द्वारा सोयाबीन ऑयल लूज विक्रय करने पर Contravention of Regulation No. 2.3.15(1)(b) of Food and Standard (Prohibition and Restriction onSales) Regulation, 2011. का कृत्य कारित किया है।

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर (राजस्थान)

A5
3

12/2016 - अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर (राजस्थान)

इस प्रकार अभियुक्त से लिया गया sample of Refined Soyabean Oil (Loose) is Contravention of Regulation No. 2.3.15(1)(b) of Food and Standard (Prohibition and Restriction onSales) Regulation, 2011. जॉच रिपोर्ट पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है।

फलस्वरूप अभियुक्त श्री संजय अग्रवाल को एफएसएस एक्ट 2006 एवं नियम 2011 की धारा 2.3.15(1)(बी) के अन्तर्गत घटित अपराध का दोषी पाया जाता है। फलतः अभियुक्त श्री संजय अग्रवाल को Contravention of Regulation No. 2.3.15(1)(b) of Food and Standard (Prohibition and Restriction onSales) Regulation, 2011 के अन्तर्गत राशि रूपये 3,000–00 (अखरे रूपये तीन हजार मात्र) के आर्थिक दण्ड से दण्डित किया जाता है। निर्णय की प्रति मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक 15.11.2016 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

15/XI/16

(करतारसिंह पूनिया)
न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (प्रशा0)

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर (राजस्थान)